न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

वली संख्याः– 290/2007/रेफरेन्स

सीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

हनुमान पुत्र राजू
बींजा पुत्र गोपी वगै0
समस्त निवासीगण नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद

निर्णय दिनांकः–07.09.2018

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नांगल के पुराने ख0नं0 158 से 160, 162 से 167 की खातेदारी जमाबंदी सं. 2019 से 2022 के अनुसार माफी मन्दिर श्री गोपीनाथजी कृषक हनुमान पुत्र राजू हि0 1/4 बीजा वल्द गोपी 1/4 कजोड़ वल्द गीदा हि0 1/8 दीपला वल्द मोती सुखदेवा वल्द दूला 1/8 जाट के नाम से दर्ज थी जिसे आगामी जमाबंदी में कब्जे के आधार हनुमान पुत्र राजू 1/4 तेजा पुत्र गोपी 1/4 कजोड़ पुत्र गीदा 1/8 सुखदेवा पुत्र दूला 1/8 दीपला पुत्र मोती 1/4 हि0 जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज कर दिया गया। नामांतरकरण सं0 60 के द्वारा खाता गोविन्दा के बजाय तेजा वल्द गोविन्दा 1/4 व गीदा के बजाय कजोड़ वल्द गीदा 1/8 दर्ज किया गया। नामान्तकरण सं. 123 से हनुमान के बजाय खाता घासीराम झुथांराम पि0 हनुमान गणपत पुत्र श्यामा हि0 1/4 दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं. 169 से दीपला के बजाय खाता घीसा जेसा परसा हरि माधु पि0 दीपला हि0 1/4 दर्ज किया गया। तत्पश्चात् नामातरकरण सं. 190 के द्वारा खाता घासीराम झुंथाराम पि0 हणमान हि0 1/4 तेजा पुत्र गोपी हि0 1/4 घीसा जैसा परसा हरि मादू पि0 दीपला 1/4 जोधा धोकल मन्शी पि0 दूला हि0 1/4 जाट ब.हि.ब. के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं. 233 से जोधा पुत्र दूला हि0 1/12 के बजाय झाबर बोदू पि0 जोधा लाडूडी वेबा जोधा के नाम दर्ज किया गया। नामांतरकरण सं. 31 घासीराम पुत्र हणमान हि. 1/8 राहिन सीकर केन्द्रीय सह0 बैक शाखा पलसाना के नाम व नामान्तरकरण सं. 54 के द्वारा खाता धोकल के बजाय गंगा वेबा धोकला रेवताराम पुत्र धोकल सेवली बनारसी आंची संतोष पुत्रियां धोकल हि 1/48 दर्ज किया। नामान्तकरण सं. 99 घासीराम पुत्र हणमान हि0 1/24 के बजाय खाता वाली पत्नि घासीराम हरलालसिंह सागरमल पिता घासीराम बंशी दाखी गुलाबी प्रभाती पुत्रियां घासीराम के नाम दर्ज किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त नामान्तरकरण सं. 60, 123, 169, 190, 233, 31, 54, 99 मंदिर मूर्ति की भूमि के अवेध है।